प्ररूप–11
(नियम 7 (1)देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा

क.सं./न.पा.नाथ./90ए/2023/2102 विनांक: 09/03/2023

प्रकरण सं0 .... वर्ष 2022–23

1. श्रीमती रश्मि बंग पत्नी श्री नन्दकिशोर बंग निवासी आर्शिवाद कोम्पलेक्स विग बी, नाथद्वारा जिला–राजसमन्द।

.... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 9/3/2023

मामलें के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैं :–

क.स.	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी न0	कुल क्षैत्रफल (हेक्टर में)
1	नाथद्वारा जिला–राजसमन्द	नाथद्वारा	4069/1729, 4070/1730, 2916/1730, 2925/1729	0.2391

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रामणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधकपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टरप्लान योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. उक्त आदेश कार्यालय तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द के पंत्राक/राजस्व/509 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार भूमि नदी–नाले, अन्य बहाव अथवा डूब क्षेत्र में नही होने से उक्त प्रकरण अनुज्ञेय होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया जा रहा है।

9/3/2023
आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)

प्ररूप–11
(नियम 7 (1)देखिए)

5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं0 **4069/1729, 4070/1730, 2916/1730, 2925/1729** रकबा **0.2391** हेक्टर <u>आवासीय प्रयोजन</u> राजस्व ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का <u>आवासीय प्रयोजन</u> के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना, के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
8. स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के अधिसूचना कमांकः– भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2022/ दिनांक 01 दिसंम्बर 2022 के अध्यधीन उक्त संपरिवर्तन की स्वीकृति दी जाती हैं।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 9/3/23 को पारित किया गया।

9/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका नाथद्वारा
आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)

कमांकः– 21016 **दिनांकः** 09/03/**2023**

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण ....
2. तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 07 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्रीमती रश्मि बंग पत्नी श्री नन्दकिशोर बंग निवासी आर्शिवाद कोम्पलेक्स विब बी, नाथद्वारा जिला–राजसमन्द।
4. सुरक्षित पत्रावली।

9/3/2023

प्राधिकृत, अधिकारी
नगरपालिका नाथद्वारा
आयुक्त
नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)